**भारत सरकार**

**रक्षा मंत्रालय**

**रक्षा विभाग**

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 1464**

 **01 जनवरी, 2018 को उत्तर के लिए**

**'एयर डिफेंस गन' का प्रतिस्थापन**

**1464. डॉ. अनिल कुमार साहनी :**

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

1. क्या सरकार भारतीय वायु सेना और सेना के लिए 'एयर डिफेंस गन' के प्रतिस्थापन की योजना बना रही है;
2. यदि हां, तो क्या इस तथ्य के मद्देनजर कि वर्तमान आवश्यकताओं को उक्त 'गन' से ही पूरा किया जा रहा है, भारतीय सेना और वायु सेना दोनों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक समेकित निविदा होगी; और
3. यदि नहीं, तो आवश्यकता को अलग-अलग करने के क्या कारण हैं तथा अधिग्रहण, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण तथा देश में विनिर्माण की लागत पर इसके प्रतिकूल प्रभाव का ब्यौरा क्या है ?

**उत्तर**

**रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. सुभाष भामरे)**

(क) से (ग): सेवा आवश्यकताओं के आधार पर भारतीय सेना (आईए) और भारतीय वायु सेना (आईएएफ) ने कई सैन्य वायु रक्षा (एएडी) हथियार प्रणालियों की अधिप्राप्ति के लिए योजना बनाई है । इस संबंध में, रक्षा अर्जन परिषद (डीएसी) द्वारा भारतीय सेना (आईए) के लिए उत्तरवर्ती वायु रक्षा (एडी) तोपों की खरीद के लिए आवश्यक स्वीकृति (एओएन) 14 जुलाई, 2015 को प्रदान की गई थी और भारतीय वायु सेना (आईएएफ) के लिए निकटस्त लड़ाई हथियार प्रणालियों (सीआईडब्ल्यूएस) की खरीद के लिए आवश्यक स्वीकृति (एओएन) 11 मार्च, 2016 को प्रदान की गई थी । अलग-अलग अधिप्राप्ति प्रक्रिया के लिए डीएसी का अनुमोदन इस तथ्य पर आधारित था कि भारतीय सेना और भारतीय वायु सेना की सेवा गुणात्मक आवश्यकताएं (एसक्यूआर) सेवा संबंधी विशिष्ट आवश्यकताओं के कारण भिन्न थी ।

\*\*\*\*